भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1955

10 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

ओडिशा में पीडीएस का डिजिटलीकरण

1955. श्री शुभाशीष खुंटिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा में राशन कार्ड और लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य में राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्जी (डुप्लिकेट) या अपात्र राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें रद्द किया गया है, यदि हां, तो ऐसे कितने राशन कार्डों को रद्द किया गया है; और

(घ) क्या ओडिशा में उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) को ई-पीओएस उपकरणों से स्वचालित किया गया है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, ओडिशा राज्य की 82.17% ग्रामीण और 55.77% शहरी आबादी को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कवर करता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 326.21 लाख व्यक्ति हैं। वर्तमान में, ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 325.17 लाख लाभार्थियों की पहचान की है।

(ख): ओडिशा राज्य में दिनांक 05.03.2026 तक लगभग 99.8% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं।

(ग): ओडिशा राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान हटाए गए फर्जी (डुप्लिकेट) या अपात्र राशन कार्डों की संख्या इस प्रकार है:

राज्य	2023	2024	2025
ओडिशा	31,240	19,420	12,1134

(घ): ओडिशा राज्य में सभी उचित दर दुकानों को ई-पीओएस उपकरणों से स्वचालित कर दिया गया है।
